आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

आदेश

12/10/18

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–13.07.18 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी गोविन्द यादव, पिता–स्व0 हीरा यादव, साकिन–भेलाई, पो0–सोनडीहा वभनगामा प्रखंड–धोरैया, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य सं0–999990110031833993/2ए वर्ष–2018 गोविन्द यादव बनाम् अंचल अधिकारी, धोरैया है।

परिवाद के आलोक में अंचल अधिकारी, धोरैया से निर्धारित तिथि– 05.10.18 तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। द्वितीय अपील की कार्यवाही दिनांक–31.07.18 को प्रारंभ कर लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, धोरैया को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु ज्ञापांक–685 दिनांक–03.08.18 द्वारा निदेशित किया गया था परन्तु लगातार 05 तिथियों पर प्रतिवेदन समर्पित नही किया गया और ना ही उपस्थित होकर पक्ष रखा गया है। फलस्वरूप परिवाद निष्पादन में अनावश्यक रूप से कठिनाई हुई है एवं परिवादी भी लगातार उपस्थित होने हेतु बाध्य हुए है।

अभिलेख का परीक्षण किया गया। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के दिनांक–09.06.18 के आदेश से ज्ञात होता है कि अंचल अधिकारी, धोरैया द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया था कि अतिक्रमण का मामला नहीं बनता है जिसके आलोक में परिवाद को अस्वीकृत किया गया है।

उक्त आदेश से व्यथित होकर परिवादी द्वारा प्रथम अपील दायर किया गया तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष भी अंचल अधिकारी, धोरैया द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है। प्रतिवेदन के आलोक में प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा भी अपील अस्वीकृत किया गया है।

निर्धारित तिथि–08.10.18 को अंचल अधिकारी, धोरैया से पत्रांक–776 दिनांक–05.10.18 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, धोरैया द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण कर यह प्रतिवेदित किया है कि लोक भूमि जो सड़क है को सुक्कर यादव व उदिन यादव द्वारा अतिक्रमित किया गया है। परिवादी गोविन्द यादव के द्वारा भी लोक भूमि को अतिक्रमित किया गया है।

इस प्रकार अंचल अधिकारी, धोरैया द्वारा निम्न दोनों प्राधिकारों के समक्ष गलत प्रतिवेदन दिया गया जिसके आलोक में परिवाद अस्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्व परिवादी द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी भी लोक भूमि पर अतिक्रमण किये हुए है।

अतः वस्तुस्थिति के आलोक में अंचल अधिकारी, धोरैया दोषी ज्ञात होते है। फलस्वरूप बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा–8(1) में प्रदत्त शक्ति के आलोक में मो0–2000/– (दो हजार) रू0 का आर्थिक दण्ड अंचल अधिकारी, धोरैया के विरूद्व अधिरोपित किया जाता है जो उनके वेतन से वसूलनीय होगा। अधिरोपित दण्ड की राशि जिला नजारत, बांका में जमा किया जायेगा। अंचल अधिकारी, धोरैया को यह आदेश भी दिया जाता है कि अपने प्रतिवेदन के आलोक में विहित् प्रक्रिया के अधीन नियमानुसार कार्रवाई कर परिवाद का निष्पादन सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देश के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

12.X.18

जिला पदाधिकारी
बांका

12.X.18

जिला पदाधिकारी
–सह–
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार
जिला लोक शिकायत निवारण,
बांका